न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट

रीवा (म0प्र0)

R5356-II/16

बलराम मिश्रा तनय रामावतार मिश्रा उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम रौसर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

..............................**निगरानीकर्ता**

अधिवक्ता श्री हिमांशु शुक्ला द्वारा प्रस्तुत 03-8-2016

बनाम

1. राजकुमार पाण्डेय तनय राममिलन पाण्डेय उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम खोखम पोस्ट देवरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
2. तहसीलदार हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....**गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरुध्द खसरा कमांक 437 स्थित ग्राम रौसर 565, पटवारी हल्का रौसर, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा के तर्मीम किये गये गलत नक्शे के विरूद्ध जिसमे खसरा नं0 437 की भूमि के अंश रकवे को खसरा कमांक 456 एवं 457 का अंश होना दर्शित किया गया है के विरुध्द।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

यह कि निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है कि:—

1. यह कि ग्राम रौसर 565, हल्का रौसर, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा, पटवारी हल्का रौसर, तहसील हुजूर स्थित भूमि ख0 नं0 437 रकवा 0.097 हेक्ट0 एवं 439 /2 रकवा 0.724 हेक्ट0 का अपीलार्थी रजिस्टर्ड भूमिस्वामी है।

2. यह कि भूमि ख0 क0 439 के दक्षिणी पूर्वी भाग मे भूमि खसरा कमांक 437 स्थित है एवं खसरा क0 437 के दक्षिणि भाग पर त्रुटिवश प्रत्यर्थी के स्वत्व की भूमि 456 एवं 457 नक्शे मे दर्ज कर दिया गया है।

3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ अनुलग्नक अ के रूप मे नक्शा संलग्न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5356–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी खसरा कमांक 437 स्थित ग्राम रौसर 565 पटवारी हल्का रौसर, राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा के तर्मीम किये गये गलत नक्शे के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत निगरानी एवं प्रश्नाधीन नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के किसी आदेश को इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है मात्र कम्प्यूटीकृत नक्शे को आधार बनाकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक उक्त नक्शे में हुई त्रुटि को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर दुरूस्त करा सकता है। इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं औचित्यहीन होने इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	